अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपीलवाद संख्या–09/2016

पोखलाल महतो वगै0 बनाम प्यारी मुण्डा वगै0 एवं राज्य

21/01/2020

प्रस्तुत अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू– वापसी वाद सं0–06/2014–15 में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। जिसे अंगीकृत कर संबंधित पक्षों को नोटिस देकर इसकी सुनवाई प्रारम्भ की गई।

वादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा– हुहुवा, जिला– रामगढ़ के खाता सं0–20, प्लॉट नं0–1314, रकवा–1.26 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में बुका मुण्डा वो चन्दन मुण्डा के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत चन्दन मुण्डा नावल्द फौत कर गए तथा खाता नं0–20 के सम्पूर्ण भूमि के मालिक खतियानी रैयत बुका मुण्डा हुए। बुका मुण्डा अपने पीछे तीन पुत्र बुधन मुण्डा वो जोधन मुण्डा वो बनौधी मुण्डा को छोड़कर स्वर्गवास कर गए तथा कालांतर में खतियानी रैयत बुका मुण्डा के दो पुत्र जोधन मुण्डा वो बनौधी मुण्डा नावल्द फौत कर गए। बुधन मुण्डा अपने पीछे दो पुत्र फुचा मुण्डा वो टीकला मुण्डा को छोड़कर स्वर्गवास कर गए। फुचा मुण्डा अपने पीछे अपनी विधवा मो0 विन्दुवा मुण्डाईन एवं दो पुत्र रतिया मुण्डा वो प्यारी मुण्डा को छोड़कर मरे। द्वितीय पक्ष के पूर्वज बुधन मुण्डा वो मो0 विन्दुवा मुण्डयाईन तथा उसके नाबालिग पुत्र रतिया मुण्डा वो प्यारी मुण्डा को अपने खतियानी भूमि को जोत–कोड़ करने हेतु तथा जानवर खरीदने तथा अन्य जरूरी काम करने हेतु रूपये की आवश्यकता पड़ने पर प्रथम पक्ष के पूर्वज लालु महतो से अपनी प्रश्नगत् जमीन का वास्तविक मूल्य लेकर वर्ष– 1952–53 में जमीन को बिक्री कर दिये, जिसके आधार पर प्रथम पक्ष के पूर्वज दखलकार हुए। वर्ष 1969 के माह आषाढ़ में द्वितीय पक्ष के पूर्वज टीकला मुण्डा वो मो0 विन्दुवा मुण्डाईन द्वारा प्रश्नगत् जमीन पर प्रथम पक्ष के पूर्व लालु महतो को जोत–कोड़ करने से मना किये तो प्रथम पक्ष के पूर्वज लालु महतो द्वारा द्वितीय पक्ष के सदस्य प्यारी मुण्डा के विरूद्ध स्वत्व वाद टी0एस0 नं0 2097/1969 न्यायालय मुन्सिफ, हजारीबाग के न्यायालय में दायर किया गया। जिसमें प्रथम पक्ष के लालु महतो का प्रश्नगत् जमीन पर बारह वर्षों से अधिक दिनों से दखल–कब्जा को देखते हुए तथा दोनों पक्षों के द्वारा दाखिल सुलहनामा के आधार पर प्रश्नगत् जमीन का डिक्री दिनांक 17.12.1969 को प्रथम पक्ष के पूर्वज लालू महतो के पक्ष में दी गई है। जिसके आधार पर प्रथम पक्ष के सदस्य आज तक प्रश्नगत् जमीन पर दखलकार चले आ रहे हैं। विपक्षी प्रश्नगत् भूमि पर 12 वर्षों से अधिक दिनों से बेदखल हैं। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को खारीज करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा– हुहुवा, थाना– नं0 20, थाना– रामगढ़ के खाता सं0–20 सर्वे खतियान में बुका मुण्डा व चन्दन मुण्डा के नाम से दर्ज है। प्रतिवादी जाति के मुण्डा हैं, जो अनुसूचित

जनजाति के श्रेणी में आते हैं। मौजा– हुहुवा के खाता सं0– 20 की कुल खतियानी भूमि रकवा–15.30 एकड़ की सरकारी रसीद जोधन मुण्डा, पिता बुका मुण्डा के नाम से निर्गत है, जो रामगढ़ अंचल के राजस्व पंजी के पेज नं0–34, भौल्युम नं0–01 में अंकित है तथा सरकारी रसीद वर्ष–2011–12 तक अद्यतन है। मौजा– हुहुवा के खाता सं0– , प्लॉट सं0–1314, रकवा–1.26 एकड़ भूमि पर आवेदकगण 5–7 वर्षों से जबरन कब्जा कर लिए हैं। जमीन के बाबत आवेदकगण के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है। फर्जी, बनावटी एवं जाली दस्तावेज के आधार पर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(4-A) का उल्लंघन है। अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारीज करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत् रखते हुए प्रश्नगत् भूमि उनको वापस कराने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा– हुहुवा, थाना सं0–87, थाना– रामगढ़ के खाता सं0–20, प्लॉट सं0–1314, रकवा– 1.26 एकड़ खतियानी रैयत बुका मुण्डा वो चन्दना मुण्डा के नाम से दर्ज है। चालू पंजी II में पृष्ट सं0–35/1 में लालु महतो, पिता– बोधा महतो के नाम रसीद सं0–801663, दिनांक–30.01.1979 के अनुसार 1978–79 से कायम है। पंजी में आदेश दर्ज नहीं है। मुन्सिफ न्यायालय, हजारीबाग के द्वारा स्वत्व वाद सं0–2097/1969 में पारित फैसला एवं डिक्री के अनुसार लालु महतो, पिता– बोधा महतो के पक्ष मे डिक्री दिया गया है। विपक्षीगण हक, दखल स्वीकार कर समझौता किए के तद्नुसार लालू महतो के पक्ष में डिक्री दिया गया है। विपक्षीगण वर्ष 1969 से (42 वर्षों से) बेदखल हैं। प्रथम पक्ष के जमाबंदी में भूमि खारिज का उल्लेख नहीं किया गया है। किस आधार पर भूमि खारिज किया गया है, खारिज के पश्चात् कितनी भूमि बचती है, जिक्र नहीं है। अतः सरकारी नियमानुसार भू–वापसी की कार्रवाई की जा सकती है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के बहस सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा– हुहुवा, थाना सं0–87, थाना– रामगढ़ के खाता सं0–20, प्लॉट सं0–1314, रकवा– 1.26 एकड़ खतियानी रैयत बुका मुण्डा वो चन्दना मुण्डा के नाम से दर्ज है। चालू पंजी II के पृष्ट सं0–35/1 में लालु महतो, पिता– बोधा महतो के नाम रसीद सं0– 801663, दिनांक– 30.01.1979 के अनुसार 1978–79 से कायम है। प्रथम पक्ष की जमाबंदी पंजी II मे किस आधार पर खोली गई है, इसका उल्लेख नहीं है। साथ ही अनुसूचित जनजाति के भूमि का हस्तांतरण के पूर्व सक्षम प्राधिकार उपायुक्त का आदेश भी प्राप्त नहीं किया गया है, जो C.N.T Act की धारा 46(4-A) का उल्लंघन है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रमाणित हो सके कि

आदिवासी रैयत की भूमि को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46(4-A) के प्रावधानों के अनुसार वर्णित भूमि क्रय किया गया है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वादी के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एंव संशोधित।

/2020
अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

/2020
अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।